15/8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

निगरानी संख्या 4/13

तारीख रजू– 03/04/13

हनुमान पुत्र धूडीलाल जाति सुनार उम्र 50 वर्ष निवासी खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

----निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– हंसराज पुत्र श्री सूरजमल जाति ब्राहम्मण उम्र 49 वर्ष निवासी खण्डार तहसील खण्डार
2– ग्राम पंचायत खण्डार जरिये संरपच ग्राम पंचायत खण्डार पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर

–अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक– 30/01/17

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत खण्डार के पट्टा संख्या 232 दिनांक 15/12/99 के विरूद्व प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत खण्डार ने ग्राम खण्डार में अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारां पारित निर्णय दिनांक 15/12/99 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थीगण 1 मय वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण 2 वाद तामिल उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने वार्ड पंचों द्वारा मौके की कोई भी रिपोर्ट नहीं ली, मात्र छपे छपाये प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाकर ग्राम पंचायत में ही रिपोर्ट तैयार कर ली। निगरानीकर्ता का मकान 50 वर्ष से भी अधिक समय से बना हुआ है। अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने से पूर्व यह जानकारी भी नहीं ली की निगरानीकर्ता का पानी के निकास हेतु पूर्व की गली के लिए दो फुट जगह छोडी हुई है, उसके बाबजूद भी अदालत मातहत ने गली बाबत कोई तथ्य की मौका रिपोर्ट नहीं ली है। अप्रार्थीगण 1 द्वारा अदालत मातहत द्वारा जारी पट्टे के अनुसार मकान का निर्माण कर लिया जाता है तो निगरानीकर्त्ता का पानी का निकास व रोशनदान बन्द हो जावेगा। जिससे निगरानीकर्ता का मकान में रहना दुभर हो जावेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/12/99 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थीगण 1 के कब्जे काश्त की भूमि है एवं कब्जे काश्त की भूमि पर ही पट्टा दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति नोटिस जारी किया गया है एवं मौका रिपोर्ट ली गई है। मौका रिपोर्ट व आपत्ति नोटिस जारी करने व समस्त प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् ही अप्रार्थीगण 1 के हक में पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

15/R

कमी नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा आपसी देष व रंजिश के कारण उक्त निगरानी अदालत हाजा में पेश की गई है। यदि निगरानीकर्ता को पट्टे संबंधित कोई आपत्ति थी तो आपत्ति नोटिस जारी होने पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता था। अतः निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/12/99 यथावत रखा जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं कि ग्राम पंचायत के अस्थायी निर्णय दिनांक 30/11/99 में पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार एक माह का आपत्ति नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 15/12/99 को स्थायी निर्णय हेतु रखी गई थी। उक्त निर्णय में एक माह के स्थान पर 15 योम पृथक से लिखा हुआ है। जो संदेहप्रद है। साथ ही उक्त आपत्ति नोटिस जो कि संरपच ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा जारी किया हुआ है। उक्त आपत्ति नोटिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा चस्पा की रिपोर्ट तो की गई है। लेकिन तामिल कुनिन्दा के हस्ताक्षर मौजुद नहीं है, साथ ही जिन ग्वाह के हस्ताक्षर करवाये गये है। उनकी जाति/बलदियत को भी उल्लेख नोटिस पर नहीं किया गया है। पंचायती राज नियम 1956 के अनुसार पट्टा जारी करने से पूर्व एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा उक्त आपत्ति नोटिस 15 दिवस हेतु ही जारी किया गया है और आपत्ति नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् निर्णय भी पारित कर दिया गया है। जो नियम के विपरित है। आपत्ति नोटिस पर भी अंकित **किसी को भी ऊपर उल्लिखित भूमि के विक्रय पर कोई आक्षेप हो तो उसे उसकी तारीख से एक माह के भीतर अपने आक्षेप फाईल कर देने चाहिए** पर भी अपना ध्यान नहीं दिया और आपत्ति नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् ही निर्णय पारित कर दिया। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है एव अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15/12/99 नियमों के विपरित पारित होने के कारण निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित पट्टा संख्या 232 दिनांक 15/12/99 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2017 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर